गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 2475
दिनांक 4/12/19

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(3)गृह–1/2019 पार्ट जयपुर, दिनांक : 03.12.2019

आदेश

श्री रामावतार पुत्र श्री जगन्नाथ के विरूद्व सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत लम्बित विभागीय जांच में महानिदेशक पुलिस कार्यालय के आदेश क्रमांक व–13(67)पुलिस–फोर्स/डी0ई0/आरपीएस/2018/4701–06 दिनांक 19.11.2019 के द्वारा दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला पद की वर्ष 2019–20 की दिनांक 10.10.2019 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री रामावतार पुत्र श्री जगन्नाथ को राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2019–20 की दिनांक 01.04.2019 की रिक्ति के प्रति एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री दिनेश सिंह (सामान्य) के नाम के नीचे एवं श्री अश्विनी कुमार अत्रे (सामान्य) के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री रामावतार, आरपीएस अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

3/12/19
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस